निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 62 / 2022
दायरा दिनांकः—09.11.2022
निर्णय दिनांकः— 24.12.24

उनवान

कैलाश नारायण नाथ आयु 50 वर्ष मुतवन्ना मांगीलाल नाथ पिता हीरालाल जाति नाथ निवासी ग्राम टोडी मोहल्ला छबडा हाल निवासी चांचोडा जिला गुना

बनाम

1. सूरजमल आयु 60 वर्ष पुत्र श्यामलाल गाडरी निवासी ग्राम खांखरा
2. पप्पु उर्फ कमर मिंया आयु 45 वर्ष पुत्र छब्बु खां जाति मुसलमान निवासी माली खिडकी छबडा जिला बारां (राज0)
3. जहीर आयु 35 वर्ष पुत्र छब्बु खां जाति मुसलमान निवासी माली खिडकी छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — प्रार्थी
2. श्री भगवान बलरिया— अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के दत्तक पिता मांगीलाल के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 295 रकबा 02 बीघा 01 बिरवा, खसरा नंबर 297 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 305 रकबा 14 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 07 बीघा भूमि वाके माल टोडी तहसील छबड़ा में स्थित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि राजस्थान सरकार के खातेदारी में दर्ज संवत् 2059 से 2080 तक काबिल काश्त दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमि में प्रार्थी के दत्तक पिता मांगीलाल ने कब्जा काश्त संवत् 2068—2069 के मध्य कब्जा काश्त किया। संवत् 2069 के पश्चात प्रार्थी के दत्तक पिता वृद्धावस्था के कारण काश्त करना बंद कर दिया था. उसके पश्चात प्रार्थी के पिता मांगीलाल ने अप्रार्थी कम 1, 2 व 3 को पांती से जुपा दी थी. उसके पश्चात प्रार्थी के दत्तक पिता मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 14.03.2013 को कस्बा छबड़ा में हो चुकी है। प्रार्थी के दत्तक पिता मांगीलाल जी लाऔलाद कुंआरा फोत हुए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। प्रार्थी को प्रार्थी के नाना मांगीलाल ने समस्त जाति बिरादरी के सामने गोद लिया था। प्रार्थी के नाना के मरने के बाद वादी ने ही पगड़ी बांधी थी, तब से ही अप्रार्थीगण से प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

क विवादग्रस्त भूमि की पांती लेता रहता था। किंतु अप्रार्थीगण की नियत में बेईमानी होने से प्रार्थी को पांती देना बंद कर दिया। प्रार्थी अपने नाना के समय से ही कब्जा काश्त करता आ रहा था। प्रार्थी का 20 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त हो जाने से प्रार्थी स्वतः खातेदार हो गया है। कि अप्रार्थीगण की नियत में बेईमानी होने से प्रार्थी दिनांक 29.10.2022 को जब विवादग्रस्त भूमि पर ट्रेक्टर लेकर हांकने गया तो अप्रार्थीगण ने जमीन को कब्जा काश्त नहीं करने दिया और उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल रजिस्टर्ड खतौनी आंशिक ग्राम टोडी सम्वत् 2008 फोटो प्रति पहचान पत्र कैलाश नारायण पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी के दत्तक पिता मांगीलाल के कब्जे काश्त की है जो ग्राम टोडी तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी राज0 सकरार के खातेदारी में है प्रार्थी के दत्तक पिता मांगीलाल ने कब्जा काश्त सम्वत् 2068–2069 के मध्य कब्जा किया मांगीलाल द्वारा पांती पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 करो दे दी थी प्रार्थी के दत्तक पिता मांगीलाल लाऔलाद फोत हुआ। उसके कोई सन्तान नही थी प्रार्थी के दत्तक पिता मांगीलाल के मरने के बाद प्रार्थी ने ही पगडी बांधी थी प्रार्थी अपने दत्तक पिता के समय से ही कब्जा काश्त करता आ रहा था प्रार्थी अप्रार्थीगण से पांती लेता रहता था अप्रार्थीगण ने पांती देना बन्द कर दिया अप्रार्थीगण ने जमीन पर कब्जा नही करने दिया। अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी सरकार है प्रार्थी के खातेदारी की नही है विवादित आराजी खसरा नम्बर 295,297,305 प्रार्थी व उसके नाना मांगीलाल के खातेदारी व कब्जे काश्त में नही रही प्रार्थी व मांगीलाल विवादित आराजी के खातेदार नही है प्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त व खातेदारी बाबत् कोई दस्तावेज पेश नही किया है प्रार्थी मांगीलाल का दत्तक पुत्र नही था। भूमि गैर मुमकिन नाला है प्रार्थी गैर मुमकिन नाले को खातेदारी में दर्ज करवाने का दावा पेश किया है विवादित आराजी पर कब्जे बाबत् भी कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थी का कब्जा साबित हो सकें प्राईमा फेसाई केस एवं सुविधा का सन्तुल प्रार्थी के पक्ष में नही है और ना ही कोई अपूणीय क्षति हो रही है प्रार्थी द्वारा विधि विरूद्ध व असत्य एवं बनावटी तथ्यों पर दावा पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल रजिस्टर्ड खतौनी आंशिक ग्राम टोडी सम्वत् 2008 में खसरा नम्बर 295 रकबा 2.01 बीघा खसरा नम्बर 296 रकबा 4.05 बीघा खसरा नम्बर 305 रकबा 14 बिस्वा सरकार खाता दर्ज है उक्त भूमि पर प्रार्थी व मांगीलाल के कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज पेश नही किया अप्रार्थी के कबजे बाबत् भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे अप्रार्थी का कब्जा साबित हो सके। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अधिकरों का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य/साबूतों के आधार पर किया जाएगा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही है। अतः अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा